भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- †*66
उत्तर देने की तारीख- 04/12/2025

जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं

†*66. श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अधिक सुलभता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित की जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) त्रिपुरा में ऐसी कितनी छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और इससे जिला-वार कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री जुएल ओराम)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

जनजातियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री बिप्लब कुमार देब द्वारा दिनांक 04.12.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या †*66, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनजातीय समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक अधिक पहुंच मिल सके।

i) अजजा छात्रों (कक्षा IX और X) के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

ii) अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर)

iii) अजजा छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति।

iv) अजजा छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी)

v) अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

ऊपर उल्लिखित योजनाओं में से, क्र.सं. (i) से (ii) तक की छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से लागू की जाती हैं। मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं दोनों ही खुली (ओपन एंडेड) योजनाएं हैं, जिनमें उन सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिनकी माता-पिता की आय 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक 2.5 लाख सालाना से अधिक नहीं है। आवेदन आमंत्रित करना, सत्यापन, लाभार्थियों का चयन और छात्रवृत्ति राशि का वितरण संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर और वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति की जांच करने के बाद केंद्रीय शेयर निधि जारी करता है। राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन डीबीटी मोड के माध्यम से सभी पात्र अजजा छात्रों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति राशि का वितरण करते हैं।

क्रम संख्या (iii) से (v) में दी गई योजनाएं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। इन केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत स्लॉट और निधियों का कोई राज्य-वार आवंटन नहीं है। अजजा छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति के तहत, धनराशि सीधे छात्रों/संस्थानों को डीबीटी मोड के माध्यम से जारी की जाती है, जबकि क्रम संख्या (v) पर दी गई योजनाएं अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति विदेश मंत्रालय (एमईए) के माध्यम से लागू की जाती हैं, धनराशि दूतावासों के माध्यम से विदेश में अध्ययन करने वाले अजजा छात्रों को जारी की जाती है, आगे जनजातीय कार्य मंत्रालय एमईए को धनराशि की प्रतिपूर्ति करता है।

(ख): वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई कुल धनराशि नीचे दी गई हैः -

योजना का नाम	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गई कुल धनराशि	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जारी की गई कुल धनराशि
अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	308.60 करोड़ रुपये	163.69 करोड़ रुपये
अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2668.69 करोड़ रुपये	2598.34 करोड़ रुपये

(ग): त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत त्रिपुरा में लाभार्थियों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है: -

अजजा छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति			
क्रम संख्या	जिले का नाम	2023-24	2024-25 (आज तक)
		लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	धलाई	4901	4599
2	गोमती	6917	6516
3	खोवाई	4925	4618
4	उत्तर	1583	1411
5	सेपाहिजाला	4043	3714
6	दक्षिण	4724	5226
7	उनाकोटी	1297	1246
8	पश्चिम	5288	4957
	कुल	**33678**	**32287**

अजजा छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व (IX-X) छात्रवृत्ति			
क्रम संख्या	जिले का नाम	2023-24	2024-25 (आज तक)
		लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	धलाई	2449	2605
2	गोमती	2365	2071
3	खोवाई	1469	1483
4	उत्तर	700	727
5	सेपाहिजाला	979	958

6	दक्षिण	1742	2255
7	उनाकोटी	660	612
8	पश्चिम	1237	1325
	कुल	**11601**	**12036**

इसके अलावा, वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत त्रिपुरा के लाभार्थियों की संख्या, जिले-वार, नीचे तालिका में दी गई हैः -

अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी) योजना के तहत त्रिपुरा के लाभार्थियों की जिला-वार संख्या			
क्र.सं.	जिला का नाम	2023-24	2024-25
1	धलाई	11	29
2	गोमती	5	26
3	खोवाई	13	23
4	उत्तरी त्रिपुरा	1	1
5	सेपाहिजाला	13	32
6	दक्षिणी त्रिपुरा	14	30
7	उनाकोटी	3	5
8	पश्चिम त्रिपुरा	37	89
कुल		**97**	**235**

अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएसटी) योजना के तहत त्रिपुरा के लाभार्थियों की जिले-वार संख्या			
क्र.सं.	जिला का नाम	2023-24	2024-25
1	धलाई	7	8
2	गोमती	5	8
3	खोवाई	5	5
4	उत्तरी त्रिपुरा	3	3
5	सेपाहिजाला	3	4
6	दक्षिणी त्रिपुरा	4	5
7	उनाकोटी	2	2
8	पश्चिम त्रिपुरा	17	16
कुल		**46**	**51**

अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) योजना के तहत त्रिपुरा के लाभार्थियों की जिले-वार संख्या			
क्र.सं.	जिला का नाम	2023-24	2024-25
1	धलाई	1	-
कुल		**1**	**0**

*****